प्रेषक,

संदीप कौर,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 27 मई, 2026

विषयः एस0बी0एम 1.0 एवं एस0बी0एम 2.0 योजना का SNA-SPARSH 2.0 के माध्यम से क्रियान्वयन।

महोदय,

शासनादेश संख्या- 8/2026/बी-1-1196/दस-2026 दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रदेश में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में SNA-SPARSH मॉडयूल को विकेन्द्रीकृत किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत विभागों के जनपदीय एडमिन कार्यालय द्वारा बिल जेनेरेट कर जनपदीय आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से जन जनपदीय कोषागार को अग्रेषित किये जाने एवं जनपदीय कोषागार द्वारा बिलों का पारण किये जाने की व्यवस्था है।

2- राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम 1.0 एवं एस0बी0एम 2.0) के पत्र दिनांक 26 मई, 2026 द्वारा यह अवगत कराते हुये कि एस0बी0एम 1.0 एवं एस0बी0एम0 2.0 योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था यथाः- स्थानीय निकाय, उ0प्र0 जल निगम नगरीय के नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता राजपत्रित अधिकारी न होने के कारण जनपदीय कोषागार को बिल अग्रसारित करने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी होने में कठिनाई है, एस0बी0एम0 1.0 एवं एस0बी0एम0 2.0 योजनान्तर्गत लखनऊ के कोषागार से बिलों के आहरण की अनुमति प्रदान करने एवं जनपदीय एडमिन के स्थान पर राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0 1.0 एवं एस0बी0एम0 2.0) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा बिल के प्रिन्ट आउट (फार्म 103) पर प्रतिहस्ताक्षरित कर बिलों को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- उपर्युक्त प्रकरण अमृत 2.0 योजना के समान है, जिसमें जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण मिशन निदेशालय के प्रस्ताव पर विचार करते हुए आपवादिक रूप से जनपदीय एडमिन द्वारा SNA-SPARSH मॉडयूल में तैयार किये गये बिलों को मुख्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ को अग्रेषित किये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या- 11/2026/बी-1-1326/दस-2026 दिनांक 26 मई, 2026 द्वारा की गयी है।

4- अतः विचाराधीन प्रकरण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0बी0एम 1.0 एवं एस0बी0एम0 2.0 योजनान्तर्गत बिलों का प्रस्तुतीकरण एवं जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ द्वारा बिलों का पारण अमृत 2.0 योजना के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत उपरोक्त शासनादेश संख्या- 11/2026/बी-1-1326/दस-2026 दिनांक 26 मई, 2026 के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

संदीप कौर
सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

पत्र सं0-**12/2026/**बी-1-1335 /दस-2026, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
3. राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम 1.0 एवं एस0बी0एम 2.0), उत्तर प्रदेश ।
4. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
6. समस्त, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, उ0प्र0, शासन।

आज्ञा से

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।